झारखण्ड सरकार

कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

वन भवन – 1, हजारीबाग 825301 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (O) - 06546 -222393, Cell No. : 8987790202 E-mail: cf.hazaribagh@gmail.com

पत्रांक 13E-05-11/2016 2788 दिनांक :– 18.10.2017

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषय :– **मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द, अपर्णा देवी द्वारा हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अंतर्गत करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु कुल 14.17 हे0 मात्र अधिसूचित वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग:– **प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का ज्ञापांक 627 दिनांक 28.07.2017**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के पत्रांक 5017 दिनांक 14.10.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विषयगत परियोजना में झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, विभाग के ज्ञापांक 3105 दिनांक 27.07.2017 द्वारा किये गये तीन बिन्दुओं पर पृच्छा यथा बिन्दु 'क', 'ख' एवं 'ग' का अनुपालन प्रतिवेदन आठ प्रतियों में इस कार्यालय में समर्पित किया है।

अतः उक्त अनुपालन प्रतिवेदन की सात प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक – यथोक्त।

आपका विश्वासी

18/10

वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

18.10

D:\CFH\F.C. Act\Karma Mining Proposal\13E-5-11-2016 (Karma Stone Mines).doc

झारखण्ड सरकार

कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

☎ 06546-222339, Fax no.06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com

पत्रांक : 5017 दिनांक: 14-10-2017

5132
18/10/17

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
हजारीबाग।

विषयः– **मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द अर्पणा देवी द्वारा करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु 14.17 हे0 वनभूमि के अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक 623 दिनांक 28.07.2017, आपका पत्रांक 2672 दिनांक 04.10.2017 एवं मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द अर्पणा देवी, कोडरमा का पत्रांक शुन्य दिनांक 06.10.2017।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि सरकार के उप सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन विभाग झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 3105 दिनांक 27.07.2017 द्वारा विषयगत प्रस्ताव पर तीन बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी। पृच्छाओं का संशोधित निराकरण प्रतिवेदन प्रयोक्ता अभिकरण के पत्र दिनांक 06.10.2017 द्वारा समर्पित किया गया है।

सरकार के उप सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन विभाग झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 3105 दिनांक 27.07.2017 द्वारा तीन बिन्दुओं पर की गई पृच्छाओं के निराकरण की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र.सं.	पृच्छा	अनुपालन
(क)	प्रस्ताव के पार्ट – I की कंडिका – B 2.4 में Component wise break up के कॉलम में तथा कंडिका – M- 1 (C) में खनन पट्टा के अंदर अवस्थित वनभूमि के रकवा में सुधार करने की आवश्यकता होगी।	पृच्छा के अनुपालानार्थ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक सुधार कर संशोधित प्रस्ताव समर्पित किया गया है जिसमें Form A Part I की कंडिका B 2.4 Component wise break-up में माईनिंग क्षेत्र 12.14 हे0, प्रस्तावित पहुँच पथ 0. 23 हे0 एवं सेफटी जोन 1.80 हे0 कुल 14.17 हे0 है। संशोधित प्रस्ताव इस पत्र के साथ संलग्न है। Form A Part I की कंडिका M- 1 (C) में Letter of intent, जिला खनन कार्यालय द्वारा प्रेषित ज्ञापांक 13 दिनांक 04.01.2016 की प्रति लगाई गई है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।
(ख)	वन संरक्षक, हजारीबाग प्रादेशिक अंचल	पृच्छा के अनुपालनार्थ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया

	के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित वनभूमि के उत्तर में अवस्थित Water body के लिए सेफ्टीजोन 15 मीटर करते हुए component wise break up में सुधार आवश्यक होगा।	गया है कि प्रस्तावित करमा स्टोन माईनिंग क्षेत्र के पूर्वी बाउण्ड्री पर Water body अवस्थित है। जिसका सत्यापन समर्पित DGPS Survey Report से अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया एवं सही पाया। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु प्रस्तावित वनभूमि के पूर्वी भाग पर अवस्थित Water body के लिए 15 मीटर का सेफ्टीजोन क्षेत्र छोड़ कर component wise break up में सुधार किया गया है जिसके तहत माईनिंग क्षेत्र 12.34 हे0 से घट कर 12.14 हे0 हो गया है तथा सेफटीजोन क्षेत्र 1.60 हे0 से बढ कर 1.80 हे0 हो गया है। इस संबंध में संशोधित प्रस्ताव यथा माईनिंग प्लान , सेफटीजोन प्लान एवं Form A Part-I में आवश्यक सुधार कर समर्पित किया गया है जो इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।
(ग)	क्या यह site specific project है ?	पृच्छा के अनुपालनार्थ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्नवत सूचित किया गया है :– 1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट के आवेदन से पूर्व अन्य तीन गैर वन भूमि क्षेत्र में अवस्थित नावाडीह, पीपराडीह एवं बरवाडीह Stone deposit का भू वैज्ञानिक सर्वे किया गया तथा करमा मौजा अन्तर्गत करमा Stone deposit को भू–वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सर्वोत्तम कोटि का पाया गया एवं तदनुरूप वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के लिए आवेदन किया गया। 2. करमा प्रोजेक्ट अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र का चयन इस लिए किया गया क्योंकि प्रस्तावित क्षेत्र के अगल–बगल non-mineralized zone एवं Water body अवस्थित है, साथ ही दक्षिणी भू–भाग पर वनरोपण कार्य किया गया है जो कोडरमा वन प्रमंडल अन्तर्गत कांटी मौजा है।

		3. SIEAA के मार्गदर्शिका के अनुरूप पर्यावर्णिय दृष्टिकोण से आवेदित करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट 500 मीटर की दूरी पर है। 4. करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु तैयार माईनिंग प्लान Deputy Director of Geology, Department of Mines Geology & Industry, Palamu, Jharkhand के पत्रांक 147 दिनांक 01.09.2017 द्वारा अनुमोदित है। 5. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि0मी0 की परिधि में वन्य प्राणी आश्रयणी / राष्ट्रीय उद्यान नहीं पडता है। 6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि आवेदित क्षेत्र के आस–पास रैयती भूमि पर खनन पट्टा जिला खनन पदाधिकारी , हजारीबाग द्वारा दिया गया है जिससे भी स्पष्ट होता है कि आवेदित क्षेत्र स्थल विशिष्ट है। 7. करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट के आस–पास के ईलाको में अवैध खनन भी किया गया है जिस संबंध में भारतीय वन अधिनियम 1927 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है तथा मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः प्राप्त संशोधित अनुपालन प्रतिवेदन की आठ–आठ प्रतियाँ इस पत्र के साथ अत्र–सह–संलग्न कर यथोचित कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

आपका विश्वासी,

14/10/17

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

14/10/17